मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त, 1998 (श्रावण 16, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री लखन लाल गुप्ता, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-95-बाईस-पं.2, दिनांक 31 जुलाई, 1998 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री गणपत सिंह उइके, राज्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के वर्ष 1994-95 के ऑडिटेड लेखा एवं वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दयाल सिंह तुमराची, सदस्य, मण्डला जिले के ग्रामों में उचित मूल्य की दुकानों से सामग्री का प्रदाय न होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, रायसेन जिले में विभागीय फलोद्यान योजना में अनियमितता होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, आयुध निर्माण फैक्ट्री के कर्मचारियों पर वृत्तिकर लगाये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (विक्रयकर) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, लालचन्द मित्तल, सदस्य, इन्दौर शहर में स्थित श्मशान भूमि का अवैधानिक आबंटन किये जाने की उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री कैलाश जोशी, सदस्य, देवास जिले के नगर पंचायत सतवास के अध्यक्ष को अवैधानिक रूप से पद से हटाये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री विट्ठलराव महाले, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के सौंसर क्षेत्र की बिछुआ-खमारपानी सरवनी-लोधीखेड़ा मार्ग की हालत जर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री बच्चन नायक, ईश्वरदास रोहाणी, रामलखन सिंह (त्यौंथर), सदस्य, कटनी जिले में स्थापित ए.सी.सी. रिफेक्ट्री उद्योग में श्रमिकों के हितों की उपेक्षा किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में कन्या शाला की भूमि पर शापिंग काम्पलेक्स का निर्माण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले की चम्बलेश्वर सिंचाई योजना के डूब प्रभावितों को मुआवजा न मिल पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्रीमती जयश्री बेनर्जी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम भटरौली में अवैध उत्खनन होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(11) श्री बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के कोल आदिवासियों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम खोभा का विद्यालय अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की ओर स्कूल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री लोकेन्द्र सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के गंगऊ अभ्यारण्य में अवैध उत्खनन होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह गौड़, गोपीकृष्ण नेमा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के न्यू गौरी नगर क्षेत्र में हैजे से अनेक मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री रामदयाल प्रभाकर, चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, दतिया शहर स्थित बिहारी मंदिर के पुजारी द्वारा अवैधानिक कार्य किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. ढाल सिंह बिसेन, सदस्य, भिण्ड जिले में आबकारी अधिकारी पदस्थ न होने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री शिवप्रताप सिंह (सूरजपुर), सदस्य, सरगुजा जिले के अनेक विकासखण्डों में तड़ित चालक खरीदी में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री डोमन सिंह नगपुरे, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी में कृषि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. रमन सिंह, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, रायपुर संभाग में अति वृष्टि से कृषकों की फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले में स्थापित लघु उद्योग इकाईयां बन्द होने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शैलेन्द्र प्रधान, बद्रीलाल यादव, सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, भंवरसिंह शेखावत, सदस्य, इन्दौर शहर के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री बृजेन्द्र पाठक, सदस्य, सतना जिले के ग्राम जिगना में महाविद्यालय खोले जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर शहर में ओमती नाले पर निर्मित व्यवसायिक काम्पलेक्स को खाली कराये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) सर्वश्री बाबूलाल गौर, लक्ष्मीनारायण शर्मा, सदस्य, भोपाल के वार्ड क्रमांक-एक की गैस दावा अदालत के उपायुक्त के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री लल्लू सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के धनपुरी वार्ड क्रमांक-8 में उत्खनन से मकानों में दरार पड़ने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री जयकरण साकेत, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बरहठा की आदिवासी युवती की मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले की मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड कम्पनी के श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री लक्ष्मणसिंह, गौड़, कमल पटेल, बच्चन नायक, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम बरखेड़ा में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्रीमती करुणा शुक्ला, श्री रमेश शर्मा, सदस्य, भोपाल के कार्मल कान्वेन्ट विद्यालय की छात्राओं को प्रताड़ित किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले की कटघोरा तहसील के कृषकों की फसल सूखने से क्षति होने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के आमानाला जलाशय के वेस्ट वीयर के पुनर्निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री सोबरन सिंह मावई, सदस्य, मुरैना जिले के रन्नौद थाना के पुलिस कर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, बच्चन नायक, सदस्य, छतरपुर जिले के चन्दला थाने में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री पारसचंद जैन, सदस्य, विदिशा जिले की ग्राम पंचायत खजुरिया के सरपंच की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम भेंवरासा, छायन व सुनियान में विद्यालय प्रारंभ न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, दमोह जिले में सिंचाई जलाशयों से कृषकों को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री दाऊराम रत्नाकर, सदस्य, प्रदेश में जीवनोपयोगी सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा नगरपालिका द्वारा तरल क्लोरीन की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, पर्यटन विकास निगम के होटल निजी संस्थाओं को दिये जाने की ओर पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, कोरबा जिले में स्थित राखड़ बांध फूटने से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, दमोह जिले के हटा से बीड़ी निर्माता कम्पनी की शाखायें स्थानांतरित किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य, शाजापुर जिले के बेरछा रोड स्थित गोडाउन में लकड़ी एवं बांस नष्ट होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम आटरा के निवासियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री पर्वतलाल अहिरवार, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम गुना में फरार अपराधियों द्वारा मारपीट व आतंक फैलाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) सर्वश्री बाबूलाल गौर, बच्चन नायक, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, कटनी जिले के कैमोर नगर के राजनैतिक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर जिले के महू के पास इनामी अपराधी को मार गिराने वाले पुलिस कर्मियों की उपेक्षा होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) सर्वश्री जनकलाल ठाकुर, रणजीत सिंह गुणवान, मांगीलाल भण्डारी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम कनारदा में एक महिला को जलाने से हुई मौत की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले में आपराधिक घटनायें घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, नगरीय प्रशासन द्वारा पेयजल टंकियों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, जबलपुर जिले में शासकीय नलकूपों के विद्युत बिलों का भुगतान न होने से कनेक्शन काटे जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री बच्चन नायक, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम करोंदिया की विवादित भूमि के विक्रय से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(54) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, श्रीमती करुणा शुक्ला, सदस्य, सागर जिले में महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा सामग्री क्रय में भ्रष्टाचार किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(55) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के उदयपुरा में बाढ़ पीड़ितों को सहायता न मिलने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(56) श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, शहडोल जिले के अमलई स्थित ओरिएन्ट पेपर मिल से जलकर की वसूली न करने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(57) श्री कमल पटेल, सदस्य, झाबुआ में फर्जी परमिट पर ले जाई जा रही शराब पकड़ी जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(58) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, नौरादेही अभ्यारण्य के क्षेत्र के संबंध में नागरिकों की आपत्तियों पर कार्यवाही न होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(59) श्री गोविन्द मिश्रा, सदस्य, सीधी जिले के लोक निर्माण विभाग उपखण्ड चुरहट में मजदूरों को कार्य की मजदूरी न दिये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(60) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर के गोपालगंज वार्ड में दो महिलाओं की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(61) श्री कैलाश चावला, सदस्य, नीमच जिले के गांधी सागर बांध के अधिकारियों द्वारा कालोनी विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(62) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, रामलखन शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, विदिशा जिले के सिरोंज में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(63) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की अनेक सहकारी समितियों द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण में अनियमितता किये जाने की ओर वनमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(64) श्री बच्चन नायक, सदस्य, भोपाल के नेहरुनगर में एक महिला के साथ मारपीट कर बलात्कार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा.

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 102-लैलूंगा के सदस्य, श्री प्रेम सिंह सिदार को जुलाई-अगस्त, 1998 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बाबूलाल गौर, सभापति, लोक लेखा समिति का 195 वां से 206 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अम्बिका प्रसाद शुक्ला, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का एक सौ चौसठवां से एक सौ उनासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, विशेषाधिकार समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, याचिका समिति का 32 वां एवं 33 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

-5-

470

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम छपई टोला के नया मुहल्ला में बिजली लगाये जाने,

(2) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित-

(क) तालाब से गन्दा पानी निकासी हेतु बने कार्य योजना को पूर्ण कराये जाने, तथा

(ख) खेल परिसर का पुनर्निर्माण कराये जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य, जांजगीर जिले के ग्राम कन्डरा के मुहल्ला धनवार डुग्गु मे बिजली लगाये जाने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम जनकपुर में बिजली लगाये जाने, तथा

(5) ठाकुर मोहर सिंह, सदस्य, विदिशा नगर में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

8. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

डॉ. गोविन्द सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" प्रदेश में कोल माइन्स प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं एवं पुनर्वास के संबंध में जांच संबंधी प्रतिवेदन याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

9. वक्तव्य

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, सहकारिता मंत्री, दिनांक 31 जुलाई, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 972) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध मे वक्तव्य देंगे.

(2) श्री जालम सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 5 अगस्त, 1998 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1450) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड विधेयक, 1998 (क्रमांक 33 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

11. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति

श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" यह सदन आज दिनांक 7 अगस्त, 1998 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के तेइसवें प्रतिवेदन पर विचार कर, इसे स्वीकार करे."

12. मंत्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव

श्री विक्रम वर्मा, नेता प्रतिपक्ष, द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण :-

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है."

निर्धारित
समय

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

30 मि. "सदन का यह मत है कि राज्य शासन कृषकों एवं मजदूरों के हित संवर्धन के लिये ऐसे कानून या नियम बनाए, जिसके तहत रोजगार के इच्छुक कृषि मजदूरों का पंजीयन हो सके साथ ही साथ कृषकों की उस राशि की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके जो वह कृषि कार्य हेतु कृषि मजदूरों को एकमुश्त अग्रिम के रूप में देते हैं."

(2) श्री चिरोंजीलाल सोनकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

30 मि. " सदन का यह मत है कि प्रदेश में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये प्रदेश में सल्फास कीटनाशक दवा की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की जावे."

(3) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

35 मि. "प्रदेश में विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को शासन द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि में 50 वर्ष की आयु की सीमा समाप्त की जाकर सभी उम्र की विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन पाने की पात्रता प्रदान की जाय."

(4) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

35 मि. "इस सदन का मत है कि पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की घोषणा के फलस्वरुप इस विशाल मध्यप्रदेश राज्य के पूर्व महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश और बुन्देलखण्ड के क्षेत्रों की जनता की भावनाओं तथा क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर उनका पक्ष भी सुनने और भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक आधार पर प्रदेश के पुनर्गठन व सीमांकन पर विचार करने के लिये केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश पुनर्गठन आयोग की स्थापना शीघ्र करे."

(5) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि हावड़ा से जबलपुर तक चलने वाली शक्तिपुंज रेल को भोपाल तक चलाया जाय."

भोपाल :
दिनांक : 6 अगस्त, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा